न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या : 104/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बलजीत कौर उर्फ अमरजीत कौर पत्नी सुखपाल सिंह जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर।		1. कुलदीप सिंह पुत्र काका सिंह जटसिख निवासी 43 जीजी खरला तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुरजन्ट सिंह पुत्र काका सिंह जटसिख निवासी 43 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरमेज सिंह पुत्र जंगीर सिंह जटसिख निवासी 44 जीजी हाल आबाद मकान नम्बर 35 सुरजीत सिंह कॉलोनी श्रीगंगानगर। 4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 12.10.2021

उपस्थित: 1.श्री अशोक कुमार जोशी, विकास खीचड अधिवक्ता वादी
2. श्री जसकरण गोदारा, इकबाल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. श्री अजय कुमार बिश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3

--निर्णय--

दिनांक: 16.03.2022

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि चक 44 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 60/60 के मुरब्बा नम्बर 10, 30 की कुल 8.852 हैक्टर नहरी भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी चक के खाता संख्या 103/12 के मुरब्बा नम्बर 30 की कुल 0.316 हैक्टेयर नहरी भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी चक के खाता संख्या 102/12 के मुरब्बा नम्बर 30 की कुल 0.316 हैक्टेयर नहरी भूमि वादिया के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 44 जीजी के खाता संख्या 60/60 की कुल 8.852 हैक्टेयर, खाता संख्या 102/12 की कुल 0.316 हैक्टेयर, तथा खाता संख्या 103/12 की 0.316 हैक्टेयर भूमि वादिया की माता के नाम से खातेदारी था, जिनके देहान्त के उपरान्त विरास्तन वादिया की माता उसकी बहन जसविन्द्र कौर को उक्त भूमि बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। कालान्तर में जसविन्द्र कौर ने अपने 1/2 हिस्सा भूमि बेचान प्रतिवादीगण को कर दिया गया। इस प्रकार यह खाता मुश्तर्का खाता हो चुका है। उक्त मुश्तर्का खाता की भूमि के बाबत मूल खातेदारान वादिया व उसकी बहन के मध्य वाहमी तौर पर किलावाईज विभाजन हो चुका था, तदानुसार ही वे बाहमी तौर पर विभाजन में अपने हिस्सा में आए किलाजात पर ही काबिज होकर भूमि काश्त करते रहे, लेकिन कालान्तर में वादिया की बहन जसविन्द्र कौर ने अपना 1/2 हिस्सा विधिवत विभाजन करवाए बिना प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बेचान कर दिया, खरीददारान बाहमी विभाजन में जसविन्द्र कौर को प्राप्त किलाजात पर काबिज हो गए। जसविन्द्र कौर व वादिया के मध्य हुए वाहमी विभाजन में वादाधीन खातों की भूमि वादिया को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

चक 44 जीजी के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 की 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 ता 5 प्रत्येक 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 ता 9 प्रत्येक 0.139 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.101 हैक्टेयर, कुल 1.729 हैक्टेयर एंव मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 11 ता 14 प्रत्येक 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.101 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 ता 24 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.189 हैक्टेयर कुल 3.012 हैक्टेयर नहरी भूमि, इस प्रकार दोनों खातो की कुल 4.741 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई। इसी अनुसार वादिया मौका पर उक्त किलाजात पर काबिज चली आ रही है। शेष बचे किलाजात जसविन्द्र कौर के हिस्सा में आए, जो उसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बेचान कर दिया गया जो मौका पर उसी अनुसार काबिज चले आ रहे है। उक्त किलाजात को विधिक किलावाईज विभाजन नही हुआ है। इसलिए पक्षकारों के मध्य प्रायः विवाद बने रहने की आशंका रहती है। खिंचाई भराई में झगडे होने की संभावना रहती है। इसलिए वादिया बाहमी तौर पर हुए विभाजन के अनुसार ही विधिक तौर पर किलावाईज विभाजन करवाना चाहती है। तथा विधिक विभाजन करवा पाने की हकदार है। वादिया द्वारा उक्त मुश्तर्का खाता के किलावाईज विभाजन बाबत आज से अर्सा करीब 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण को कहा गया तो उन्होंने विधिक विभाजन से साफ तौर पर इन्कार कर दिया गया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादिया स्वीकार किया जाकर चक 44 जीजी के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 की 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 ता 5 प्रत्येक 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 ता 9 प्रत्येक 0.139 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.101 हैक्टेयर, कुल 1.729 हैक्टेयर एंव मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 11 ता 14 प्रत्येक 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.101 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 ता 24 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.189 हैक्टेयर कुल 3.012 हैक्टेयर नहरी भूमि, इस प्रकार दोनों खातो की कुल 4.741 हैक्टर भूमि का खाता विभाजन करके खाता अलग से कायम किये जाने के आदेश दिए जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा उपस्थित आए व प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय कुमार बिश्नोई उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 कुलदीप सिंह को चक 44 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 60/60 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 7,8,9 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 के 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 के 0.079 हैक्टेयर, किला नम्बर 12,13,14 प्रत्येक 0.126 हैक्टेयर, भूमि बाहमी विभाजन अनुसार प्राप्त हुई है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 गुरजन्ट सिंह को इसी चक के खाता संख्या 60/60 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 के 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 के 0.047 हैक्टेयर, बाहमी विभाजन अुनसार प्राप्त हुई है। अतः इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का खाता व लगान अलग से तकसीम किये जाने के आदेश फरमावे। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 को चक 44 जी जी के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 6 ता 9 प्रत्येक 0.114 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.089 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 की 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 ता 15 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, कुल 1.747 हैक्टेयर नहरी भूमि प्राप्त हुई है। इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 का खाता व लगान अलग से

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री रतनपुर

स्वीकार किये जाने के आदेश फरमावे। वादिया के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को वादिया का वादपत्र स्वीकार है तथा वादिया को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दु कायम नहीं किए गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। हमने बहस वकील उभयपक्षकारान की सुनी। हमने बहस पर मनन किया, गौर किया तथा संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन करते हुए वादपत्र का गहनता से अध्ययन किया। दौराने बहस अधिवक्ता वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के द्वारा निवेदन किया कि वादिया को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का काउन्टर क्लेम स्वीकार है व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को वादिया का वादपत्र स्वीकार है, इसलिए मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि अनुसार प्राथमिक डिक्री जारी कर विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जावे। वादग्रस्त भूमि में से वादिया के नाम 4.592 हैक्टेयर नहरी भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम 4.592 हैक्टेयर नहरी भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने दौराने बहस जाहिर किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड कानूनन बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा बाबत प्राथमिक डिक्री जारी कर दी जावे। लिहाजा माफिक राजस्व रिकॉर्ड वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा करवाया जाना हम उचित समझते है। शेष खाता एंव रहन बदस्तुर रहें।

-:आदेश:-

अतः माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 44 जीजी पटवार हल्का 52 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 60/60 के मुरब्बा नम्बर 10, 30 की 8.552 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 103/12 के मुरब्बा नम्बर 30 के 0.316 हैक्टेयर भूमि, व खाता संख्या 102/12 के मु.न. 30 की 0.316 हैक्टेयर भूमि में वादिया के नाम 4.592 हैक्टेयर नहरी भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम 4.592 हैक्टेयर नहरी भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादिया व प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहें।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादिया व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादी एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे। प्राथमिक डिक्री पृथक से बनाई जाकर सामिल मिसल हो। तहसीलदार श्रीकरणपुर को प्राथमिक डिक्री की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 16.03.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)
सत्यमेव जयते

प्राथमिक डिक्री बमुकदमे इकतराई

(ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D-1')

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) मुकाम श्रीकरणपुर
व इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

बलजीत कौर उर्फ अमरजीत कौर बनाम कुलदीप सिंह आदि
धारा अन्तर्गत **53,88 आरटीए** मुकदमा नं. **104/2021**
निर्णय दिनांक :- 16.03.2022

यह मुकदमा आज बाबत इनफिसाल कार्यवाही समक्ष उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादिया अधिवक्ता श्री अशोक कुमार जोशी व प्रतिवादीगण अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा, श्री अजय कुमार बिश्नोई** के पेश होने पर अग्रिम किया जाता है कि:-

पाबिन्द राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 44 जीजी पटवार हल्का 52 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 60/60 के मुरब्बा नम्बर 10, 30 की 8.552 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 103/12 के मुरब्बा नम्बर 30 के 0.316 हैक्टेयर भूमि, व खाता संख्या 102/12 के मु.न. 30 की 0.316 हैक्टेयर भूमि में वादिया के नाम 4.592 हैक्टेयर नहरी भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम 4.592 हैक्टेयर नहरी भूमि आई हुई है। जिसका पाबिन्द राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। **शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहे।** तहसीलदार श्रीकरणपुर को निर्देश दिये जाते है कि मुताबिक प्राथमिक डिक्री के राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित करें। वादिया व प्रतिवादीगण प्रश्नगत आराजी के मौके की वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं करे। वादी एंव प्रतिवादीगण मौके पर उपस्थित रहे।

आज दिनांक 16.03.2022 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	00	--
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकली पर	00	--
योग	04	00	योग	02	00

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

(सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर
दिनांक: 16.03.2022

क्रमांक: रीडर/ 2022/146
प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो।

(सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.))
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}
प्रकरण संख्या : 104/2021

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. बलजीत कौर उर्फ अमरजीत कौर पत्नी सुखपाल सिंह जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर।		1. कुलदीप सिंह पुत्र काका सिंह जटसिख निवासी 43 जीजी खुरना तहसील श्रीकरणपुर। 2. गुरजन्ट सिंह पुत्र काका सिंह जटसिख निवासी 43 जीजी तहसील श्रीकरणपुर। 3. गुरमेज सिंह पुत्र जगीर सिंह जटसिख निवासी 44 जीजी हाल आबाद मकान नम्बर 35 सुरजीत सिंह कॉलोनी श्रीगंगानगर। 4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर, श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू:- 12.10.2021

उपस्थितः 1.श्री अशोक कुमार जोशी, विकास खींचड अधिवक्ता वादी
2. श्री जसकरण गोदारा, इकबाल सिंह अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 व 2
3. श्री अजय कुमार बिश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 3

--निर्णय-- दिनांकः 22.04.2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 44 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 60/60 के मुरब्बा नम्बर 10, 30 की कुल 8.852 हैक्टर नहरी भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी चक के खाता संख्या 103/12 के मुरब्बा नम्बर 30 की कुल 0.316 हैक्टेयर नहरी भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। इसी चक के खाता संख्या 102/12 के मुरब्बा नम्बर 30 की कुल 0.316 हैक्टेयर नहरी भूमि वादिया के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। चक 44 जीजी के खाता संख्या 60/60 की कुल 8.852 हैक्टेयर, खाता संख्या 102/12 की कुल 0.316 हैक्टेयर, तथा खाता संख्या 103/12 की 0.316 हैक्टेयर भूमि वादिया की माता के नाम से खातेदारी था, जिनके देहान्त के उपरान्त विरास्तन वादिया की माता उसकी बहन जसविन्द्र कौर को उक्त भूमि बाहिस्सा बरादर प्राप्त हुई। कालान्तर में जसविन्द्र कौर ने अपने 1/2 हिस्सा भूमि बेचान प्रतिवादीगण को कर दिया गया। इस प्रकार यह खाता मुश्तर्का खाता हो चुका है। उक्त मुश्तर्का खाता की भूमि के बाबत मूल खातेदारान वादिया व उसकी बहन के मध्य बाहमी तौर पर किलावाईज विभाजन हो चुका था, तदानुसार ही वे बाहमी तौर पर विभाजन में अपने हिस्सा में आए किलाजात पर हो काबिज होकर भूमि काश्त करते रहे, लेकिन कालान्तर में वादिया की बहन जसविन्द्र कौर ने अपना 1/2 हिस्सा विधिवत विभाजन करवाए बिना प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को बेचान कर दिया, खरीददारान बाहमी विभाजन में जसविन्द्र कौर को प्राप्त किलाजात पर काबिज हो गए। जसविन्द्र कौर व वादिया के मध्य हुए बाहमी विभाजन में वादग्रस्त खातों की भूमि वादिया को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

चक 44 जीजी के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 की 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 ता 5 प्रत्येक 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 ता 9 प्रत्येक 0.139 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.101 हैक्टेयर, कुल 1.729 हैक्टेयर एंव मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 11 ता 14 प्रत्येक 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.101 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 ता 24 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.189 हैक्टेयर कुल 3.012 हैक्टेयर नहरी भूमि, इस प्रकार दोनों खातो की कुल 4.741 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई। इसी अनुसार वादिया मौका पर उक्त किलाजात पर काबिज चली आ रही है। शेष बचे किलाजात जसविन्द्र कौर के हिस्सा में आए, जो उसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को बेचान कर दिया गया जो मौका पर उसी अनुसार काबिज चले आ रहे है। उक्त किलाजात को विधिक किलावाईज विभाजन नही हुआ है। इसलिए पक्षकारों के मध्य प्रायः विवाद बने रहने की आशंका रहती है। खिंचाई भराई में झगडे होने की संभावना रहती है। इसलिए वादिया बाहमी तौर पर हुए विभाजन के अनुसार ही विधिक तौर पर किलावाईज विभाजन करवाना चाहती है। तथा विधिक विभाजन करवा पाने की हकदार है। वादिया द्वारा उक्त मुश्तर्का खाता के किलावाईज विभाजन बाबत आज से अर्सा करीब 10 रोज पूर्व प्रतिवादीगण को कहा गया तो उन्होंने विधिक विभाजन से साफ तौर पर इन्कार कर दिया गया। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र वादिया स्वीकार किया जाकर चक 44 जीजी के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 की 0.164 हैक्टेयर, किला नम्बर 2 ता 5 प्रत्येक 0.227 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 ता 9 प्रत्येक 0.139 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.101 हैक्टेयर, कुल 1.729 हैक्टेयर एंव मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 11 ता 14 प्रत्येक 0.127 हैक्टेयर, किला नम्बर 15 की 0.101 हैक्टेयर, किला नम्बर 16 की 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 17 ता 24 प्रत्येक की 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 25 की 0.189 हैक्टेयर कुल 3.012 हैक्टेयर नहरी भूमि, इस प्रकार दोनों खातो की कुल 4.741 हैक्टर भूमि का खाता विभाजन करके खाता अलग से कायम किये जाने के आदेश दिए जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री जसकरण गोदारा उपस्थित आए व प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री अजय कुमार बिश्नोई उपस्थित आए। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। प्रस्तुत काउन्टर क्लेम के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 कुलदीप सिंह को चक 44 जीजी की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 60/60 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 7,8,9 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 6 के 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 के 0.079 हैक्टेयर, किला नम्बर 12,13,14 प्रत्येक 0.126 हैक्टेयर, भूमि बाहमी विभाजन अनुसार प्राप्त हुई है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 2 गुरजन्ट सिंह को इसी चक के खाता संख्या 60/60 के मुरब्बा नम्बर 10 के किला नम्बर 1 ता 4 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 5 के 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 के 0.253 हैक्टेयर, किला नम्बर 11 के 0.047 हैक्टेयर, बाहमी विभाजन अुनसार प्राप्त हुई है। अतः इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का खाता व लगान अलग से तकसीम किये जाने के आदेश फरमावे। प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 को चक 44 जी जी के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 6 ता 9 प्रत्येक 0.114 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 की 0.089 हैक्टेयर, किला

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

नम्बर 11 की 0.190 हैक्टेयर, किला नम्बर 12 ता 15 प्रत्येक 0.253 हैक्टेयर, कुल 1.747 हैक्टेयर नहरी भूमि प्राप्त हुई है। इसी अनुसार प्रतिवादी संख्या 3 का खाता व लगान अलग से तकसीम किये जाने के आदेश फरमावे। वादिया के द्वारा जवाब काउन्टर क्लेम पेश नहीं करने पर बन्द किया गया। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को वादिया का वादपत्र स्वीकार है तथा वादिया को प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गये।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार है। लिहाजा वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम चक 44 जीजी पटवार हल्का 52 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 60/60 के मुरब्बा नम्बर 10, 30 की 8.552 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 103/12 के मुरब्बा नम्बर 30 के 0.316 हैक्टेयर भूमि, व खाता संख्या 102/12 के मु.न. 30 की 0.316 हैक्टेयर भूमि में वादिया के नाम 4.592 हैक्टेयर नहरी भूमि व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम 4.592 हैक्टेयर नहरी भूमि आई हुई है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादिया व प्रतिवादी सख्या 1 ता 3 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तथा शेष खाता बदस्तुर रहे। तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

बहस उभय पक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादिया अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के अधिवक्ता ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादिया का वाद व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईश्तदुआ की है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस उभय पक्ष अधिवक्तागण एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादिया का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना उचित समझते है।

-:आदेश:-

अतः माफिक बंटवारा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 44 जीजी पटवार हल्का 52 जीजी, भू.अ.नि. क्षेत्र खरलां, तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 78 के खाता संख्या 60/60 के मुरब्बा नम्बर 10, 30 की 8.552 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 103/12 के मुरब्बा नम्बर 30 के 0.316 हैक्टेयर भूमि, व खाता संख्या 102/12 के मु.न. 30 की 0.316 हैक्टेयर भूमि में वादिया व प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हिस्से की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर

बलजीत कौर उर्फ अमरजीत कौर बनाम कुलदीप सिंह आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 88 आरटीए, प्रकरण संख्या 104/2021

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	बलजीत कौर उर्फ अमरजीत कौर पत्नी सुखपाल सिंह जटसिख निवासी 48 जीजी तहसील श्रीकरणपुर।	44 जीजी	10	11/1	0.127 हेक्टैयर	नहरी	0.96
				12/1	0.127 हेक्टैयर	नहरी	0.96
				13/1	0.127 हेक्टैयर	नहरी	0.96
				14/1	0.127 हेक्टैयर	नहरी	0.96
				15/1	0.095 हेक्टैयर	नहरी	0.72
				16	0.190 हेक्टैयर	नहरी	1.44
				17ता 24	2.024 हेक्टैयर	नहरी	15.36
				25	0.189 हेक्टैयर	नहरी	1.43
			30	1	0.164 हेक्टैयर	नहरी	1.24
				2	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.72
				3	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.72
				4	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.72
				5	0.227 हेक्टैयर	नहरी	1.72
				6/1	0.139 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				7/1	0.139 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				8/1	0.139 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				9/1	0.139 हेक्टैयर	नहरी	1.05
				10/1	0.101 हेक्टैयर	नहरी	0.77
2	कुलदीप सिंह पुत्र काका सिंह जटसिख निवासी 43 जीजी खरलां तहसील श्रीकरणपुर।	44 जीजी	10	6	0.190 हेक्टैयर	नहरी	1.44
				7	0.253 हेक्टैयर	नहरी	1.92
				8	0.253 हेक्टैयर	नहरी	1.92
				9	0.253 हेक्टैयर	नहरी	1.92
				11/2	0.079 हेक्टैयर	नहरी	0.60
				12/2	0.126 हेक्टैयर	नहरी	0.96
				13/2	0.126 हेक्टैयर	नहरी	0.96
				14/2	0.126 हेक्टैयर	नहरी	0.96
				15/2	0.095 हेक्टैयर	नहरी	0.72
3	गुरजन्ट सिंह पुत्र काका सिंह जटसिख निवासी 43 जीजी तहसील श्रीकरणपुर।	44 जीजी	10	1 ता 4	1.012 हेक्टैयर	नहरी	7.60
				5	0.190 हेक्टैयर	नहरी	1.44
				10	0.253 हेक्टैयर	नहरी	1.92
				11/1	0.047 हेक्टैयर	नहरी	0.36
4	गुरमेज सिंह पुत्र जंगीर सिंह जटसिख निवासी 44 जीजी हाल आबाद मकान नम्बर 35 सुरजीत सिंह कॉलोनी श्रीगंगानगर।	44 जीजी	30	6/2	0.114 हेक्टैयर	नहरी	0.87
				7/2	0.114 हेक्टैयर	नहरी	0.87
				8/2	0.114 हेक्टैयर	नहरी	0.87
				9/2	0.114 हेक्टैयर	नहरी	0.87
				10/2	0.089 हेक्टैयर	नहरी	0.68
				11	0.190 हेक्टैयर	नहरी	1.44
				12ता 15	1.012 हेक्टैयर	नहरी	7.60

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेखा भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

[illegible]

[illegible] 04/2022

निर्णय आज दिनांक 22.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर प्रशासन गांवों के संग अभियान- 2021, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत 9 एफ एफ [illegible] में सुनाया गया।

[सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)]
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) [illegible]
[illegible] श्री [illegible]